8.2.18. वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन तलबाना पेश नहीं किया पूर्व में पर्याप्त अंतिम अवसर देने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। न्याय हित में अंतिमतम अवसर दिया जाता। वाद तलबी तारीख 22-3-18 को पेश करें।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

22/03/18

वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन तलबाना वकील वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया जाकर आदेशिका की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

अतः वादी का वाद Order CPC के अन्तर्गत खारिज मानते हुए खारिज किया जाता है।

पत्रावली रिकार्ड लेकर दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner